432

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 2043 दो-15

प्र0क्र0 निग0 -एक/15

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड0
द्वारा आज दि. 3-7-15 को
प्रस्तुत

3-7-15

1- कपूरी बाई पत्नि स्व0 चितराम
2- गंगाराम पुत्र चितराम यादव
3- अशोक पुत्र चितराम यादव
4- रघुवीरराम तनय चितराम यादव
5- बलराम तनय चितराम यादव

समस्त निवासीगण ग्राम टीलादात
तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ म0प्र0
--- आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती पार्वती पुत्री सुन्नू यादव
निवासी टीलादात तहसील मोहनगढ
जिला टीकमगढ म0प्र0

2- म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

यह निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्र0क्र0 295/निग0/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22-8-13 एवं नकल प्राप्त दि0 12-8-14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया है ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी संक्षेप निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका पार्वती पुत्री सुन्नू यादव निवासी ग्राम टीलादात तहसील मोहनगढ के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 328/निगरानी/88-89 में पारित आदेश दिनांक 28-9-1989 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 295/निग0/10-11

2/--

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2043-एक/2015 जिला टीकमगढ़ कपूरी विरूद्ध शासन व पार्वती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 295/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31-01-19

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 31.01.19	